न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,गंगापुर जिला भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारी विकास पंचोली, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्याः– 28/2017 (2017/00094) बाजदायर दिनांक 01.03.2017
वाद– अन्तर्गत धारा 183 आर.टी.ए.

शीर्षक

श्री चारभुजा स्थान देह खातेदार जरिये तहसीलदार सहाड़ा मु0 गंगापुर जिला भीलवाड़ा।

वादी

बनाम

श्री शंकरलाल आत्मज मोहनलाल खारोल निवासी सहाड़ा जिला भीलवाडा (राज0)।

प्रतिवादी

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 183 आर.टी.ए.

दिनांक 26.07.2021

निर्णय

वाद पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम शंकरपुरा पटवार हल्का सहाड़ा तहसील सहाड़ा के बैरून हल्का आबादी में श्री चारभुजा स्थान देह के खातेदारी अधिकार की आराजी संख्या 2206 रकबा 0.21 हे0 भूमि अन्य आराजी के साथा खाता संख्या 163 पर स्थित हैं जिसमें से सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आराजी संख्या 2206 में से रकबा 0.1168 हे0 भूमि अवाप्त की गई जिसके आराजी संख्या 2206/2 कायम किये गये और शेष भूमि 0.0932 हे0 के आराजी संख्या 2206/1 कायम किये गये हैं प्रमाण में नकल जमाबंदी एवं नकल नक्शा ट्रेस साथ प्रस्तुत है।

यह कि दिनांक 21.02.2017 को मौतवीरान की उपस्थिति में उक्त वाद वर्णित आराजी संख्या 2206/1 का मौका पर्चा पटवारी हल्का द्वारा बनाया गया। जिस पर प्रतिवादी शंकरलाल का कब्जा पाया गया है। उक्त आराजी पर प्रतिवादी का कोई कानुनी अधिकार नही होते हुए भी प्रतिवादी ने उक्त भूमि को अपनी खातेदारी की आराजी से मिला कर अनाधिकृत कब्जा कर काबिज होकर काश्त कर उपयोग – उपभोग कर रहा है। जिसे हटाया जाना आवश्यक एवं न्यायोचित हैं।

वादी ने वाद पत्र में रिलीफ चाही है कि कब्जेयाबी की डिकी बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी इस आशय की जारी फरमायी जावे कि ग्राम शंकरपुरा तहसील सहाड़ा की आराजी संख्या 2206/1 रकबा 0.0932 हे0 भूमि पर प्रतिवादी के कब्जे को हटाया जाकर उन्हें बेदखल करा कब्जा पुनः वादी को दिलाया जावें।

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
गंगापुर जिला भीलवाड़ा (राज.)

Scanned with CamScanner

मुकदमा नम्बर 28/2017(2017/00094)
वाद अन्तर्गत धारा 88,188 आर.टी.ए.

वर वक्त सुनवाई वादी पेरोकार उपस्थित। प्रतिवादी नं0 1 उपस्थित नहीं होने से इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये जाते है। पेरोकार सरकार द्वारा साक्ष्यवादी पेश नहीं करना चाही जिससे साक्ष्यवादी बंद की जाती है।

वादी पेरोकार की एक पक्षीय बहस सुनी गई। वादी पेरोकार सरकार द्वारा वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा वाद पत्र में की गई प्रार्थना के अनुसार वाद पत्र स्वीकार करने बाबत् निवेदन किया।

मैंने पत्रावली का आधोपान्त अवलोकन किया तथा प्रस्तुत बहस पर गहनता से मनन किया। ग्राम शंकरपुरा तहसील सहाड़ा की आराजी संख्या 2206/1 रकबा 0.0932 हे0 भूमि श्री चारभुजा स्थान देह के नाम दर्ज रेकार्ड होना पाया जाता हैं।

चूंकि वादी के अधिकार/आधिपत्य की भूमि पर प्रतिवादी द्वारा जबरन कब्जा कर लिया है जिसे उसको विधि सम्मत कोई अधिकारी नहीं हैं। अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाने योग्य हैं। अतएवं

–:आदेश:–

वादी का वाद पत्र अन्तर्गत धारा 183 आर.टी.ए. का स्वीकार किया जाकर डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम शंकरपुरा तहसील सहाड़ा की आराजी संख्या 2206/1 रकबा 0.0932 हे0 भूमि से प्रतिवादी को तहसीलदार सहाड़ा मु0 गंगापुर बेदखल कर कब्जा वादी को सिपुर्द करें। तदनुसार डिक्री जारी की जावें।

उक्तानुसार डिक्री पर्चा बनाया जावे खर्चा पक्षकारान स्वंय अपना–अपना वहन करें।

निर्णय आज दिनांक 26.07.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली बाद दाखला रजिस्टर के फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(विकास पंचोली)
सहायक कलेक्टर,
उपखण्ड अधिकारी, गंगापुर 2.

Scanned with CamScanner

मूलवाद में डिक्री

(आदेश 20 रूल्स 6–7 जाप्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी गंगापुर

पीठासीन अधिकारी विकास पंचोली, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्याः– 28 / 2017 (2017 / 00094) बाजदायर दिनांक 01.03.2017

वाद– अन्तर्गत धारा 183 आर.टी.ए.

शीर्षक

श्री चारभुजा स्थान देह खातेदार जरिये तहसीलदार सहाड़ा मु0 गंगापुर जिला भीलवाड़ा।

वादी

बनाम

श्री शंकरलाल आत्मज मोहनलाल खारोल निवासी सहाड़ा जिला भीलवाडा (राज0)।

प्रतिवादी

उपस्थिति– अधिवक्ता वादी :–पेरोकार सरकार
प्रतिवादी :– अनुपस्थित

डिक्री दिनांक 26.07.2021

वादी की ओर से पेरोकार सरकार एवं प्रतिवादी की अनुपस्थिति में इस वाद में आज दिनांक 26.07.2021 को मेरे समक्ष राजीनामा से अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है ओर डिकी दी जाती हैं कि ---x--- और इस वाद के खर्च लेखे ----x--- रूपये की राशी आज तारीख से वसूली की तारीख तक उस पर ----x----- प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित ----x----- द्वारा ----x----- को दी जाए।

वादी का वाद पत्र अन्तर्गत धारा 183 आर.टी.ए. का स्वीकार किया जाकर डिकी बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम शंकरपुरा तहसील सहाड़ा की आराजी संख्या 2206 / 1 रकबा 0.0932 हे0 भूमि से प्रतिवादी को तहसीलदार सहाड़ा मु0 गंगापुर बेदखल कर कब्जा वादी को सिपुर्द करें। उक्तानुसार डिकी की पालना हेतु तहसीलदार सहाड़ा को तहरीर जारी हो।

खर्चा फरीकेन अपना – अपना वहन करेंगें।

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
गंगापुर, भीलवाड़ा(राज0)

डिकी आज दिनांक 26.07.2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
गंगापुर, भीलवाड़ा(राज0)

Scanned with CamScanner